

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 30, सोमवार, शाके 1947- जुलाई 21, 2025 Asadha 30, Monday, Saka 1947- July 21, 2025	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 14, 2025

संख्या प.6(6)कृषि/ग्रुप-2/1999 :- जैसा कि राजस्थान सरकार कृषि (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर से जारी अधिसूचना दिनांक 27.09.1965 के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, सवाईमाधोपुर की स्थापना की गई थी एवं अधिसूचना क्रमांक प.6(6)कृषि-2/99 जयपुर दिनांक 05.05.2016 से कृषि उपज मण्डी समिति, सवाईमाधोपुर के मण्डी क्षेत्र ग्राम भाडौती में गौण मण्डी यार्ड की स्थापना की गई थी।

अब कृषि उपज मण्डी समिति, सवाईमाधोपुर के मण्डी क्षेत्र ग्राम भाडौती में पूर्व में आवंटित भूमि समीपस्थ 4.47 हैक्टेयर भूमि और आवंटित की गई है जिससे कृषि उपज मण्डी समिति, सवाईमाधोपुर द्वारा गौण मण्डी यार्ड भाडौती की सीमाएं पुनः निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है।

अतः राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 5 की उपधारा 2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ग्राम भाडौती में गौण मण्डी यार्ड स्थापित करने की घोषणा करती है जिसकी सीमाएं निम्न प्रकार से होगी:-

पूर्व दिशा में - खातेदारी भूमि खसरा नं. 447, 443, 444

पश्चिम दिशा में - सड़क मार्ग लालसोट

उत्तर दिशा में - पुलिस चौकी एवं खातेदारी भूमि खसरा नं. 415, 417

दक्षिण दिशा में - विद्युत विभाग प्रसारण कार्यालय एवं खातेदारी ख. नं. 456, 454

गौण मण्डी यार्ड भाडौती की उक्त सीमाओं के अन्दर निर्मित भवन, दुकानें एवं भू-भाग आदि सम्मिलित होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

अशोक कुमार मीणा,

शासन उप सचिव।

7605

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।